कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 27.03.2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 26.03.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नगसर हाल्ट पुलिस टीम द्वारा 42 पेटी देशी शराब ब्ल्यू लाईम (प्रति पेटी 45 पाऊच 200 ML) कुल 378 लीटर जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 141750/- रुपये व एक अदद चार पहिया वाहन स्कार्पियो बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 25.03.2026 को उ0नि0 निरंकार प्रसाद मय हमराह द्वारा गगरन नहर पुलिया के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर सरहुला चट्टी के दिलदारनगर जाने वाले रोड पर ही स्कार्पियो को पकड़ा गया तथा चालक अंधेरे का लाभ उठाते हुये गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मौके पर वाहन स्कार्पियो सफेद रंग रजिस्ट्रेशन नं0- रजि0 नं0 UP80BR9345 की तलाशी ली गई तो कुल 42 पेटियां शराब गाड़ी के अन्दर पीछे वाले सीट पर लदा हुआ बरामद हुआ। जिसमे से एक पेटी को खोलकर देखा गया तो 45 पाउच भरा हुआ था। उक्त पेटी से एक पाउच को निकाल कर देखा गया तो उस पाउच पर ब्ल्यू लाईम (देशी शराब मसाला), शुद्ध मात्रा 200 मि.ली तीव्रता 36.% वी/वी लिखा हुआ है। जिसको नियमानुसार बरामदशुदा माल व वाहन को कब्जा पुलिस लिया गया। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-11/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण –

42 पेटी देशी शराब ब्ल्यू लाईम (प्रति पेटी 45 पाऊच 200 ML) कुल मात्रा - 378 लीटर कीमत- 141750/ रुपये, सीज वाहन- एक अदद वाहन स्कार्पियो सफेद रंग रजिस्ट्रेशन नं0- रजि0 नं0 UP80BR9345

2. थाना करण्डा पुलिस टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 शैलेश कुमार यादव व चौकी प्रभारी बड़सरा उ0नि0 अरुण पाण्डेय मय हमराह देखभाल क्षेत्र, पेण्डिंग विवेचना, जाँच एकहामात, तलाश वांछित अपराधी के मेदनीपुर बाजार में भ्रमणशील थे उसी दौरान मुखबीर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 25/2026 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को गोशन्देपुर गुड़ फैक्ट्री तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम बल्लू खान पुत्र स्व0 साहब आलम निवासी मकान नं0 एस 2/88 डिठोरी माल अर्दली बाजार थाना कैण्ट जिला वाराणसी उम्र 25 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया, बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-41/26 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता व आपराधिक इतिहास-

1. बल्लू खान पुत्र स्व0 साहब आलम निवासी मकान नं0 एस 2/88 डिठोरी माल अर्दली बाजार थाना कैण्ट जिला वाराणसी उम्र 25 वर्ष

1. मु0अ0सं0 25/2026 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0-41/2026 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0-69/22 धारा-379,411 भादवि थाना शिवपुर जनपद वाराणसी

<u>03. थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय के नेतृत्व मे उ0नि0 श्री मोरध्वज दूबे एवं पुलिस टीम के द्वारा मु0अ0स0-61/2026 धारा 137(2),87,65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्त कलविन्द्र उर्फ कलवेन्द्र पुत्र प्रभुनाथ राम निवासी ग्राम परसदा थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर को आज दिनांक 26.03.2026 को वहद् ग्राम रसूलपुर से गिरफ्तार करते हुए अपहृता नाबालिग की बरामदगी की गयी है, गिरफ्तारशुदा अभियुक्त कलविन्द्र उर्फ कलवेन्द्र उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला कारागार भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त -

1. कलविन्द्र उर्फ कलवेन्द्र पुत्र प्रभुनाथ राम निवासी ग्राम परसदा थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0स0-61/2026 धारा 137(2),87,65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट

<u>04. थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा 01 नफर गो-तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से TATA ACE वाहन से 03 राशि जिंदा गोवंश बरामद।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भांवरकोल श्री संतोष कुमार राय एवं टीम के द्वारा आज दिनांक 26.03.2026 को चकबाला ग्राम पंचायत पखनपुरा से TATA ACE वाहन से 03 राशि गोवंश एंव 01 नफर गो-तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-72/2025 धारा 3/5A/5B/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर पंजीकृत

किया गया। कॉल डिटेल्स एंव अन्य सुसंगत सांक्ष्यो के आधार पर वाहन स्वामी सहित कुल -06 अभियुक्तो को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है ।गिरफ्तारशुदा अभियुक्त गोलू यादव पुत्र रामयन यादव ग्राम दीनापुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को हिरासत पुलिस मे मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला कारागार गाजीपुर भेजा गया ।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त -

1.गोलू यादव पुत्र रामयन यादव ग्राम दीनापुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0-72/2025 धारा 3/5A/5B/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर

05 .थाना सैदपुर पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद अवैध जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त गोलू यादव उर्फ आशुतोष यादव को गंगा पुल के नीचे वार्ड न0 15 सुभाष नगर से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाई की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 91/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गोलू यादव उर्फ आशुतोष पुत्र बनवारी यादव निवासी होलीपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद अवैध तमंचा देशी .315 बोर व 01 अदद अवैध जिंदा कारतूस .315 बोर.

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर